THE UTTAR PRADESH ROAD TRANSPORT SCHEMES (VALIDATION)

ACT, 1990

[U. P. ACT No. 21 OF 1990]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

to validate preparation and publication of certain road transport schemes.

IT IS HEREBY enacted in the Forty-first Year of the Republic of India as follows-

Short title and commencement 1- (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Road Transport Schemes (Validation) Act, 1990.

(2) It shall be deemed to have come into force on May 26, 1990.

Validation of preparation and of the publication of certain schemes 2- Where any scheme had been prepared or published under section 68-C of the Motor Vehicles Act, 1939 by the General Manager or the Managing Director State Transport Undertaking before the repeal of the said Act, the scheme shall be deemed to have been prepared or published by the State Transport Undertaking and such scheme shall not be deemed to be illegal or void or ever to have become illegal or void merely on the ground that the same had been prepared or published by the General Manager or the Managing Director of such undertaking.

Repeal 3- The Uttar Pradesh Road Transport Schemes (Validation) Ordinance, 1990, is hereby repealed.

उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन योजना (विधिमान्यकरण) अधिनियम, 1990

{उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21, 1990}

THE UTTAR ROAD TRANSPORT SCHEME (VALLIDATION) ACT, 1990

[U. P. ACT No. 21 OF 1990]

उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन योजना (विधिमान्यकरण) अधिनियम, 1990

{उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21, 1990}

{जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ}

कतिपय सड़क परिवहन योजनाओं की तैयारी और प्रकाशन को विधिमान्य करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के इकतालिसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1–– (1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन योजना (विधिमान्यकरण) अधिनियम, 1990 कहा जायेगा।

(2) यह 26 मई 1990 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

कतिपय योजनाओं की तैयारी और प्रकाशन का विधिमान्यकरण 2– जहां मोटर यान अधिनियम, 1939 के निरसन के पूर्व, राज्य परिवहन उपक्रम के महाप्रबन्धक या प्रबन्ध निदेशक द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 68–ग के अधीन कोई योजना (स्कीम) तैयार या प्रकाशित की गई हो, वहां यह समझा जायगा कि योजना राज्य परिवहन उपक्रम द्वारा तैयार या प्रकाशित की गयी है और ऐसी योजना केवल इस आधार पर कि उसे ऐसे उपक्रम के महाप्रबन्धक या प्रबन्ध निदेशक द्वारा तैयार या प्रकाशित किया गया था, अवैध या शून्य या कभी भी अवैध या शून्य हुई नहीं समझी जायेगी।

निरसन 3– उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन योजना (विधिमान्यकरण) अध्यादेश, 1990 एतद्द्वारा निरसित

किया जाता है।